संख्या 19 पंजीकृत संख्या यू०ए० / डी / 2009 11
(लाइसेन्स टू

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 11 मार्च, 2011 ई0
फाल्गुन 20, 1932 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड सरकार

ग्राम्य विकास विभाग

संख्या 491 / XI / 10 / 53(15) / 2007
देहरादून, 11 मार्च, 2011

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, **"भारत का संविधान"** के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके उत्तरांखण्ड लेखा संवर्ग (ग्राम्य विकास विभाग) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड लेखा संवर्ग (ग्राम्य विकास विभाग) सेवा नियमावली, 2011

भाग–एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लेखा संवर्ग (ग्राम्य विकास विभाग) सेवा नियमावली, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति — 2. उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास लेखा संवर्ग एक ऐसी राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद सम्मिलित है।

परिभाषाएं — 3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में:—

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से सहायक लेखाकार, लेखाकार के संबंध में आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग अभिप्रेत है,

(ख) ''भारत का नागरिक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो ''भारत का संविधान'' के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो, या समझा जाए;

(ग) ''संविधान'' से ''भारत का संविधान'' अभिप्रेत है,

(घ) ''मुख्यालय'' से आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड का कार्यालय अभिप्रेत है;

(ङ) ''सरकार'' से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(च) ''राज्यपाल'' से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(छ) ''संवर्ग का सदस्य'' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) ''मौलिक नियुक्ति'' से संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय निहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो,

(झ) ''भर्ती का वर्ष'' से किसी कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग 2

संवर्ग

सेवा का संवर्ग — 4. (1) संवर्ग की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेशों को न दिये जाए, संवर्ग की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी **परिशिष्ट 'क'** में दी गयी है।

परन्तु यह कि :–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;

(ख) राज्यपाल, ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है, जिसे वह उचित समझें।

भाग–3
भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. **सेवा** में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(क) सहायक लेखाकार के पद विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) लेखाकार–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक लेखाकारों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो एवं प्रथम विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–4
अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. **सेवा** में किसी पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो,

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो

परन्तु यह भी कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

शैक्षिक योग्यता 8. सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक उपाधि अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी तथा राज्य अथवा भारत सरकार के संस्थान "Department of Electronics Accredited Computer Course (DOEACC)" द्वारा प्रदत्त 'ओ' लेवल प्रमाण पत्र या राज्य अथवा केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक वर्ष के कम्प्यूटर कोर्स के प्रमाण पत्र के साथ कम्प्यूटर पर 8000 की डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होनी चाहिए।

अधिमानी अर्हताएं 9. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने

(क) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु 10. सीधी भर्ती के लिये किसी अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाए, के प्रथम दिवस को इक्कीस वर्ष हो जानी चाहिए और पैंतीस वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए;

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

चरित्र 11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए किं वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो, नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणीः– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगें। नैतिक अद्यमता के किसी अपराध के लिए दोष–सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होगें।

वैवाहिक प्रास्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो;

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हों, यदि उनका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता 13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पडने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदन किये जाने के पूर्व उससे यह उपेक्षा की जायेगी कि वह

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–दो भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें;

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग–5

भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी, तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और उसकी सूचना सेवायोजन कार्यालय को देगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, न्यूनतम ऐसे दो समाचार पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो प्रकाषित किया जायेगा

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से, सीधी भर्ती के लिए आवेदन–पत्र उपनियम (1) में प्रकाशित प्ररूप पर, आमंत्रित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगा।

(क) ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करे; और

(ख) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके; और

(ग) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

(3) उपनियम (2) के अधीन रिक्तियां अधिसूचित करते समय आवेदन पत्र का प्रारूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

(4) चयन के लिए 200 अंको की एक लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(क) 200 अंको की लिखित परीक्षा में से प्रथम प्रश्न पत्र 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, जिसमें सम्बन्धित पद के शैक्षिक अर्हता के स्तर व पाठ्यक्रम के विषयों पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा।

(10)

(ख) द्वितीय प्रश्न पत्र कम्प्यूटर के 'O' Level के सर्टिफिकेट स्तर का कम्प्यूटर विषयक 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा।

(ग) प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(घ) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात, अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ङ) लिखित परीक्षा की उत्तर सीट (Answer Key) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(च) लिखित परीक्षा के पश्चात, लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को उत्तराखण्ड की वैबसाईट www.ua.nic.in या दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन है, पर प्रकाशित किया जायेगा।

(5) (क) सहायक लेखाकार पद हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त कम्प्यूटर पर टंकण की 50 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, जिसमें 4000 KDPH (की डिपरेशन पर आवर) की न्यूनतम गति अनिवार्य होगी। जिन अभ्यर्थियों ने विहित न्यूनतम गति प्राप्त की होगी, उनको ही अंक दिये जायेंगे। टंकण परीक्षा हेतु बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुनी होगी। कम्प्यूटर में टंकण की परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को उनके लिखित परीक्षा के प्राप्तांक व मूल्यांकनों के योग के आधार पर प्रवीणता कम में बुलाया जायेगा;

(ख) टंकण परीक्षा में रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थी सफल होते हैं तो श्रेष्ठता सूची तैयार कर उसके आधार पर परिणाम घोषित कर दिया जायेगा;

(ग) यदि टंकण परीक्षा में रिक्तियों की संख्या से कम अभ्यर्थी सफल होते हैं तो जितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं, उनकी निमुक्ति की कार्यवाही की जायेगी। शेष रिक्तियों के लिए पुनः 1:4 के अनुपात में लिखित परीक्षा एवं अन्य मूल्यांकनों के आधार पर सारणीबद्व किये गये अभ्यर्थियों की सूची में से टंकण परीक्षा हेतु बुलाये जा चुके अभ्यर्थियों से आगे के अभ्यर्थियों को बुलाकर टंकण परीक्षा करायी जायेगी तथा उसमें सफल अभ्यर्थियों का नियमानुसार चयन

किया जायेगा। यह कम तब तक चलता रहेगा, जब तक न्यूनतम गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी निर्धारित संख्या में प्राप्त न हो जाय;

(घ) यदि पद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या 1:4 के अनुपात से कम हं तो ऐसी स्थिति में जितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए हों उन्हें टंकण परीक्षा हेतु बुलाया जाय। इनमें से जो विहित न्यूनतम गति प्राप्त करें उन्हें अन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किया जाय। यदि कोई भी अभ्यर्थी न्यूनतम गति प्राप्त न कर सके व आगे कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में रिक्त पद को अग्रेनीत रखा जायेगा।

(6) लिखित परीक्षा के प्राप्ताकों और अन्य मूल्यांकनों, जिसमें कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा के अंकों का जोड होगा, के अंकों के कुल योग से, जैसा प्रकट हो, प्रवीणता सूची (अन्तिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थी ने बराबर–बराबर अंक प्राप्त किये हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।

चयन समिति का गठन

16. सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होगे :–

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' — **अध्यक्ष**

(ख) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा — **सदस्य**

(ग) अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिष्ट अन्य पिछडे वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछडे वर्गो का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछडे वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछडे वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा — सदस्य

(घ) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा — सदस्य।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

17. (1) लेखाकार के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथा संशोधित "उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002" के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से दिये गये मानदण्ड के आधार पर की जायेगी;

परन्तु यह कि यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक से सम्बन्धित व्यक्ति सम्मिलित नहीं है तो ऐसी जातियों/जनजातियों और वर्गों, जिसका चयन समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है, से सम्बन्धित कोई अधिकारी, जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो चयन समिति के सदस्य के रूप में नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) उक्त पदों पर पदोन्नति हेतु "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक" (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली 2004 एवं लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर पदोन्नति हेतु "उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर) राज्याधीन सेवाओं में अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनाई जाने वाली प्रकिया नियमावली 2009" के प्राविधान लागू होंगे।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाए चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(4) चयन समिति उपनियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

भाग–6

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी कम में करेगा, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति नियम 15 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हो।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेशों जारी किये जाए तो एक संयुक्त आदेशों भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता कम में किया जायेगा, जैसा कि यथास्थिति, चयन में अवधारित की जाए, या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाए।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा में किसी पद पर स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणो से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाए;

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी स्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोश प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाए या जिसकी सेवायें समाप्त की जाएं, वह किसी प्रतिकर कर हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि का संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

20. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसको नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार, स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुये, कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

21. किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी;

परन्तु यह कि ग्राम्य विकास विभाग में लेखा संवर्ग के पदों के नियुक्ति प्राधिकारी जिला स्तरीय अधिकारी के स्थान पर आयुक्त, ग्राम्य विकास को घोषित किया गया है तथा जिला स्तरीय सवंर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग किया गया है। राज्य स्तरीय संवर्ग गठित होने के उपरान्त जिला स्तरीय संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों की ज्येष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी :–

(क) सर्वप्रथम विभाग में राज्य गठन से पूर्व एवं राज्य गठन के बाद (लेखा संवर्ग को राज्य स्तरीय घोषित करने के दिनांक तक) वर्ष 2004 तक के मौलिक रूप से नियुक्त/पदोन्नत लेखाकारों की पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम में रखा जायेगा;

(ख) राज्य स्तरीय संवर्ग घोषित करने की तिथि को सहायक लेखाकार अथवा ऐसे लेखा लिपिक (संविलियन पद नाम सहायक लेखाकार) जिनको इस पद पर मौलिक रूप से पदोन्नति प्रदान की गयी है, को मौलिक पदोन्नति के दिनाँक से ज्येष्ठता क्रम में रखा जायेगा;

(ग) राज्य स्तरीय संवर्ग घोषित करने की तिथि को ऐसे कनिष्ठ लेखा लिपिक वेतनमान रू0 3050–4500 जो 07 वर्ष से 14 वर्ष की सेवा पर लेखा लिपिक वर्तमान पदनाम सहायक लेखाकार का वेतनमान पा रहें है और उनका पदनाम सहायक लेखाकार कर दिया गया है, को सीधी भर्ती के पद (कनिष्ठ लेखा लिपिक) जो अब मृत घोषित कर दिया गया है) पर नियुक्ति के दिनांक से ज्येष्ठता क्रम में रखा जायेगा।

भाग–7

वेतन इत्यादि

वेतनमान

22. (1) विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट 'क' में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो और यदि नियम 19 के अधीन ऐसा करना अपेक्षित हो, तो उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतन बृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियम द्वारा विनियमित होगा.

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तों इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्वि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतयाः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–8

अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

24. किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

25. विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विषेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

26. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामलें में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेशों द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामलें में न्यायसंगत और सम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट 'क'

[नियम 4 (2) तथा 22 (2) देखिये]

क0सं0	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1	लेखाकार	280	9300–34800 ग्रेड पे–4200
2	सहायक लेखाकार	70	5200–20200 ग्रेड पे–2800
	योग	350	

आज्ञा से,

डा0 राकेश कुमार,
सचिव।